स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश (भोपाल फोन नं.- 0755-4001680)

192, एवीएन टॉवर, मेजनाइन फ्लोर, जोन -1, एम.पी.नगर भोपाल

ई-मेल : spdmpwb@gmail.com

क्रमांक 1890 / वि. बै.परि /2020 भोपाल, दिनांक 09 /12/2020

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश |

विषय : - उच्च शिक्षा के समस्त हिग्राहियों के अवलोकनार्थ शिक्षक प्रशिक्षण नीति |

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आत्म निर्भर मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा **Output Indicator 6-"State Policy for Teacher's training and blended model for teacher's training, creating an AI based Training calendar for professional life cycle of a Teacher December 2020."** के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन को नीति प्रस्तावित की जानी है | संचालनालय द्वारा गठित समिति ने बैठक कर नीति प्रारूप प्रस्तावित किया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है |

कृपया इस प्रारूप को अपने महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्राध्यापकों/हितग्राहियों/ विद्यार्थियों को अवलोकन करा कर एवं चर्चा कर अपने संशोधन दिनांक 17.12.2020 तक निश्चित रूप से इस कार्यालय की ईमेल spdmpwb@gmail.com पर प्रेषित करना कराना सुनिश्चित करें | जिससे समय सीमा के अन्दर यह प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सके |

संलग्नक : शिक्षक प्रशिक्षण नीति का प्रस्तावित प्रारूप |

(चंद्रशेखर वालिम्बे)
अपर आयुक्त,
उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल, म. प्र.

पृ क्रमांक 1891 / वि. बै.परि /2020 भोपाल, दिनांक 09/12/2020

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र. |
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश |
3. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश |

अपर आयुक्त,
उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल, म. प्र.

मध्य प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

शिक्षक प्रशिक्षण नीति

(आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अभियान के अंतर्गत)

Finalizing a State Policy for Teachers' Training Blended Model for Teachers training

Creating an AI based Training calendar for Professional Life Cycle of Teacher

1. प्रस्तावना

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ (प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक) को उनके समस्त व्यावसायिक जीवन चक्र में उत्तरोत्तर रूप से प्रभावी बनाने एवं उनकी क्षमता विकास हेतु सतत रूप से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की योजना है |

वास्तव में एक अच्छा शिक्षक अच्छा विद्यार्थी भी होता है एवं शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है | इस प्रकार के प्रशिक्षण नए शिक्षकों को उनके सामने रोज़ाना आने वाली चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करना सिखाते हैं एवं उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं | शोध एवं विभिन्न अध्ययनों से यह सिद्ध होता है कि जब शिक्षक कक्षा प्रबंधन में विशेषज्ञ होते हैं तब विद्यार्थी भी अध्ययन में अधिक रूचि प्रदर्षित करते हैं जो अंततोगत्वा शिक्षा के बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित करती है |

बहुधा यह देखा जाता है कि विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं जिसका लाभ प्राध्यापकों द्वारा लिया जाता है | ऐसे प्रशिक्षण तात्कालिक रूप से उपयोगी सिद्ध होते हैं परन्तु इनमें व्यक्तिविशेष का चयन किसी सुनिर्धारित प्रक्रिया से न होकर उनकी उपलब्धतता एवं संस्था प्रमुख की इच्छानुसार होता है | इस प्रशिक्षण नीति में प्रत्येक शिक्षक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं उनकी संस्थाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे | यह ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षकों को प्रत्येक क्षेत्र से सम्बंधित प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकें जिससे वे अपने शैक्षणिक दायित्वों के साथ ही महाविद्यालय से सम्बंधित अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दायित्वों का भी निर्वहन सफलतापूर्वक एवं विशेषज्ञता के साथ कर सकें| यह नीति शिक्षकों के पदोन्नति एवं करियर एडवांसमेंट हेतु भी सहायता प्रदान करेगी |

प्रशिक्षणों की योजना के निर्माण के समय निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाना उचित होगा :

1. पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु
2. स्थानीय संसाधनों का उपयोग
3. 'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा का समावेश
4. क्रय एवं उपार्जन सम्बन्धी प्रक्रियाएं (स्वदेशी को प्राथमिकता)

5. संस्था के संसाधनों के उपयोग से राजस्व सृजन
6. आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग
7. विद्यार्थियों एवं समाज की सहायता से स्वदेशी एवं आत्म-निर्भरता की अवधारणा का प्रचार-प्रसार
8. आत्म-निर्भरता हेतु शोध को प्राथमिकता एवं प्रोत्साहन
9. दक्षता पर आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना
10. प्रशिक्षण की विभिन्न विधाओं का समावेश

2. प्रशिक्षण के क्षेत्र

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अभियान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण नीति से निश्चित ही उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत् शैक्षणिक स्टाफ शैक्षणेत्तर कौशल प्रबंधन द्वारा एक ओर तो व्यावसायिक रूप से समुन्नत होंगे तथा साथ ही प्राप्त कौशल ज्ञान से विधार्थियों को भी बेहतर मार्गदर्शन दे सकेंगे जो अन्ततोगत्वा प्रशिक्षण के माध्यम से संभव है| ऐसे प्रशिक्षण निम्न क्षेत्रों में आयोजित किये जा सकते हैं :

2.1 नवीन शिक्षा पद्धति सम्बन्धी

इस क्षेत्र में नवीन शिक्षा पद्धतियों यथा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ऑनलाइन कक्षाओं एवं वेबिनार का आयोजन, मल्टीपल एग्जिट आप्शन वाली पाठ्यक्रम पद्धति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का लागू किया जाना जैसी अन्य विभिन्न नवीन शिक्षा पद्धतियों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं | समय समय पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरने वाली समयानुकूल एवं नवीन शिक्षा पद्धतियों को आत्मसात करने हेतु आयोजित ऐसे प्रशिक्षण निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा जगत को निरंतर अद्यतन रखते हुए वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं |

2.2 शिक्षण एवं शोध सम्बन्धी

इस क्षेत्र में नवीन ICT आधारित शिक्षण तकनीकों, शोध प्राविधियों, शोध परियोजनाओं को बनाने एवं उनके क्रियान्वयन, नवाचारों एवं स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर गहन प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं | इनसे उच्च शिक्षा जगत में नवोन्मेषी विचारों के पल्लवन, उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं नवीन तकनीकों के निर्माण का वातावरण निर्मित हो सकेगा जो देश एवं प्रदेश को आत्मनिर्भरता कि दिशा में बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा |

2.3 प्रशासनिक दक्षता सम्बन्धी

उच्च शिक्षा में शिक्षकों के सेवाकाल में अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त भी अन्य अनेक उत्तरदायित्व होते हैं जिनका निर्धारित समय-सीमा में सफलतापूर्वक निर्वहन किया जाना आवश्यक होता है | इस कारण से शिक्षकों में शासन प्रशासन सम्बन्धी अनेक क्षेत्रों की समझ एवं प्रक्रिया की जानकारी आवश्यक होती है|

कतिपय उदाहरणों में देखा गया है कि प्रशासनिक स्तर पर जानकारी के अभाव में शिक्षकों को अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ता है|

इस वर्ग में सिविल सेवा आचरण नियम, सूचना का अधिकार, सेवा एवं अवकाश के नियम, विभिन्न छात्रवृत्तियों, खाता एवं अंकेक्षण प्रक्रिया, कैशबुक का संधारण, न्यायालयीन प्रकरणों में कार्यवाही जैसे विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं |

2.4 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) संबधी

अध्ययन-अध्यापन, वेबिनार, ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन टेस्ट, प्रायोगिक कार्य, महाविद्यालय से सम्बंधित खाते, अंकेक्षण, सामान्य प्रशासन, वेतन एवं अन्य भत्तों के सॉफ्टवेयर के द्वारा भुगतान जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं जिनमें उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सर्वविदित है | यह देखा गया है कि अनेक शिक्षक सामान्य रूप से प्रचलित एवं बहुपयोगी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का भी उपयोग नहीं करते हैं| परम्परागत तरीकों से कार्य सम्पादन के साथ-साथ यदि आधुनिक डिजिटल तकनीकों का भी उपयोग किया जाए तो यह शिक्षकों को और अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बना सकता है|

2.5 भण्डार क्रय एवं उपार्जन संबंधी

शिक्षकों के सेवाकाल में कभी न कभी उन्हें विभाग अथवा महाविद्यालय हेतु क्रय अथवा उपार्जन प्रक्रिया में भागीदार बनना आवश्यक होता है | भण्डार क्रय एवं उपार्जन के नियमों अथवा क्रय प्रक्रियाओं की पूर्ण जानकारी न होने से शिक्षकों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है | इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्रय एवं उपार्जन संबधी प्रशिक्षणों को नियमित आयोजित किया जाना आवश्यक है | GeM/ई-टेंडरिंग अथवा अन्य माध्यमों से क्रय सम्बन्धी प्रशिक्षण इन प्रक्रियाओं के विशेषज्ञों के माध्यम से आयोजित किये जाने उचित होंगे |

2.6 शासकीय प्रक्रियाओं सम्बन्धी

विभिन्न शासकीय प्रक्रियाओं यथा सेवा शर्तें, अवकाश के नियम, न्यायालयीन प्रकरणों के सम्बन्ध में कार्यवाही, RTI, विधानसभा प्रश्नों पर कार्यवाही जैसे अनेक अन्य विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षकों की कार्य क्षमता को बढाया जा सकता है | समय-समय पर संचालनालय द्वारा आवश्यकतानुसार इस क्षेत्र में विषयों को चिन्हित कर प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं | NAAC, IQAC तथा NIRF सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रमुखता से आयोजित किये जा सकते हैं |

2.7 अन्य (तात्कालिक आवश्यकतानुसार)

तात्कालिक आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा अन्य विषयों पर भी प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं |

3. प्रशिक्षण संस्थान

यद्यपि प्रशिक्षणों हेतु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न अनुकूल प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन किया जा सकता है परन्तु प्रथमदृष्टया मुख्य रूप से प्रशिक्षण निम्न संस्थाओं में आयोजित किये जा सकते हैं या इनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है :

1. आर.सी.पी.वी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल
2. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (NITTTR), भोपाल
3. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NIEPA)
4. अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल
5. मध्य प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र (CEDMAP), भोपाल
6. अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय (ASC), जबलपुर
7. अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय (ASC), इंदौर
8. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेण्टर (EMRC), इंदौर
9. अकादमिक स्टाफ कॉलेज ऑफ़ इंडिया (ASCI), हैदराबाद
10. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (IIM)
11. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट (NIRD)

उच्च शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण सतत रूप से चलते रहें इसके लिए एक राज्य स्तरीय उच्च शिक्षा प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को स्थापित किया जाना उचित होगा | ऐसे संस्थान की स्थापना से प्रशिक्षण के नित नवीन क्षेत्रों की खोज, प्रशिक्षण पद्धतियों एवं उनके प्रतिफल पर शोध के साथ अबाध रूप से विभागीय शैक्षणिक के साथ-साथ अशैक्षणिक स्टाफ के प्रशिक्षण भी आयोजित किये जा सकेंगे |

4. प्रशिक्षण के स्तर

4.1 महाविद्यालय स्तर पर

संस्था स्तर पर आवश्यकतानुसार संस्था के अथवा अन्य विशेषज्ञों की सहायता से विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं | इस प्रकार के प्रशिक्षण की अवधि 5 घंटे प्रति कार्यदिवस से कम न हो | यह प्रशिक्षण एक दिवसीय, 2 दिवसीय अथवा साप्ताहिक हो सकते हैं | प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने एवं उनसे फीडबैक लिया जाना आवश्यक है | इस प्रकार आयोजित किये गए समस्त प्रशिक्षणों का विस्तृत विवरण संस्था में रखा जाना आवश्यक होगा | प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति संस्था द्वारा स्वयं के स्रोतों से की जानी होगी| प्रत्येक महाविद्यालय अथवा 2/3 महाविद्यालयों के समूह द्वारा प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 2 प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाना अनिवार्य होगा |

4.2 अग्रणी महाविद्यालय स्तर पर

अग्रणी महाविद्यालय स्तर पर आवश्यकतानुसार संस्था के अथवा अन्य विशेषज्ञों की सहायता से विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं | इस प्रकार के प्रशिक्षण की अवधि 5 घंटे प्रति कार्यदिवस से कम न हो | यह प्रशिक्षण एक दिवसीय, 2 दिवसीय अथवा साप्ताहिक हो सकते हैं | अग्रणी महाविद्यालय के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों के शिक्षक इस प्रकार के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं | प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने एवं उनसे फीडबैक लिया जाना आवश्यक है | इस प्रकार आयोजित किये गए समस्त प्रशिक्षणों का विस्तृत विवरण संस्था में रखा जाना आवश्यक होगा | प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति आयोजक संस्था द्वारा स्वयं के स्रोतों से की जानी होगी |

4.3 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर पर

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर पर आवश्यकतानुसार शासकीय संस्थाओं के अथवा अन्य विशेषज्ञों की सहायता से विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जा सकते हैं | प्रशिक्षण क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय के प्रभाव क्षेत्र के किसी महाविद्यालय अथवा नियमानुसार किसी अन्य संस्था में आयोजित किये जा सकते हैं | इस प्रकार के प्रशिक्षण की अवधि 5 घंटे प्रति कार्यदिवस से कम न हो | यह प्रशिक्षण एक दिवसीय, 2 दिवसीय अथवा साप्ताहिक हो सकते हैं | क्षेत्रीय संचालक कार्यालय के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों के शिक्षक इस प्रकार के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं | प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने एवं उनसे फीडबैक लिया जाना आवश्यक है | इस प्रकार आयोजित किये गए समस्त प्रशिक्षणों का विस्तृत विवरण संस्था में रखा जाना आवश्यक होगा | प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति आयोजनकर्ता संस्था / महाविद्यालय द्वारा स्वयं के स्रोतों से की जानी होगी |

4.4 संचालनालय स्तर पर

संचालनालय स्तर पर प्रदेश से चुने गए शिक्षकों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण भिन्न-भिन्न आकार के समूहों हेतु आयोजित किये जा सकते हैं| तात्कालिक रूप से प्रचलित परियोजनाओं यथा रूसा, MPHEQIP (विश्व बैंक से सहायता प्राप्त) से कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं | परन्तु इस क्षेत्र में सततता बनाए रखने हेतु उच्च शिक्षा विभाग के सालाना बजट में इस कार्य हेतु राशि का प्रावधान किया जाना उचित होगा |

5. प्रशिक्षण हेतु चयन के मापदंड

1. प्रत्येक शिक्षक के ऑनलाइन रिकॉर्ड में उसके द्वारा लिए गए प्रशिक्षणों को इन्द्राज किया जाना आवश्यक होगा | यह कार्य ई.आर. शीट को अद्यतन (अपडेट) करते समय किया जा सकता है | इस प्रकार समस्त शैक्षणिक स्टाफ द्वारा उनके सेवाकाल में लिए गए प्रशिक्षणों का लेखा-जोखा रखा जाना संभव हो सकेगा |

2. किसी भी अधिकारी द्वारा पूर्व में प्राप्त किये गए प्रशिक्षणों के आधार पर संस्था की आवश्यकतानुसार उन्हें उत्तरदायित्व दिया जाना उचित होगा | यदि किसी संस्था में किसी क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता / कमी हो तो संस्था प्रमुख द्वारा भविष्य में इन क्षेत्रों के अंतर्गत आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में शिक्षकों को नामांकित किया जाना चाहिए |
3. प्रशिक्षण बुनियादी (बेसिक) एवं उन्नत (एडवांस्ड) स्तर पर आयोजित किये जाने चाहिए | किसी शिक्षक ने यदि किसी विषय पर बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो उसी विषय में उसे पुनः बुनियादी प्रशिक्षण हेतु नामांकित नहीं किया जाना चाहिए| उस विषय में भविष्य में आयोजित होने वाले उन्नत प्रशिक्षण हेतु बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को वरीयता दिया जाना उचित होगा |
4. प्रत्येक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों हेतु सत्रारंभ में ही वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाना आवश्यक होगा जिससे शिक्षक अपनी रूचि एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण का चयन कर सकें |
5. संस्था प्रमुख द्वारा भी आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु शिक्षकों का नामांकन किया जा सकता है |
6. प्रादेशिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संचालनालय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों से शिक्षकों को नामांकित किया जा सकता है |

विशेष

प्रत्येक शिक्षक को अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में समस्त चयनित क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना आवश्यक होना चाहिए | इस हेतु प्रशिक्षणों की श्रृंखला अनवरत चलती रहना एवं प्रत्येक शिक्षक को इसमें सहभागिता करना अनिवार्य होगा | प्रत्येक उच्चतर वेतनमान में स्थानन हेतु पूर्व के वेतनमान की समयावधि में कम से कम 2 प्रशिक्षण (न्यूनतम 2 दिवसीय) प्राप्त कर लिया होना अनिवार्य किया जा सकता है | यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उच्च शिक्षा विभाग के प्रत्येक शिक्षक को इस प्रशिक्षण नीति का लाभ मिल सके | प्रशिक्षण के क्षेत्रों के संबंध में नवीन शिक्षा पद्धति की जानकारी देने हेतु शिक्षा महाविद्यालयों के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। भण्डार क्रय नियमों तथा उपार्जन संबंधी जानकारियों का प्रशिक्षण कोष एवं लेखा के अधिकारियों द्वारा दिया जा सकता है | साथ ही, यूजीसी के पोर्टल, व्याख्यानों की जानकारी एवं विभिन्न एप्स की जानकारियाँ भी दी जा सकती है। प्रशिक्षण के विभिन्न स्तरों, यथा महाविद्यालय स्तर, अग्रणी महाविद्यालय स्तर, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर एवं संचालनालय स्तर पर प्रशिक्षण की अर्द्धवार्षिक योजना के माध्यम से निरंतरता सुनिश्चित की जा सकती है। महाविद्यालय स्तरों पर विवेकानंद कैरियर गाइडेंस प्रकोष्ठों के माध्यम से भी प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण के प्रस्तावित मापदण्डों के अतिरिक्त यह भी ध्यान रखा जाना उचित होगा कि जिन प्राध्यापकों के सेवाकाल की दीर्घावधि है, उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान पर भी विचार किया जा सकता है।

6. ध्यान में रखने योग्य बिंदु

6.1 समस्त संभावित प्रशिक्षणों हेतु वार्षिक स्तर पर कार्यक्रम (प्रशिक्षण कैलेंडर) निर्धारित किया जाना उचित होगा | कार्यक्रम में पाठ्यक्रम की संक्षिप्त विषयवस्तु, प्रशिक्षणार्थियों की संभावित संख्या एवं प्रशिक्षण स्थल की जानकारी उपलब्ध कराई जाना होगी | इस प्रकार के कैलेंडर के उपलब्ध होने से शिक्षक गण सत्रारंभ से ही वांछित प्रशिक्षण हेतु नामांकन करवा सकते हैं| आवश्यकता एवं उपलब्धतता के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जा सकता है |

6.2 विभागीय पोर्टल पर समस्त शिक्षकों द्वारा लिए गए प्रशिक्षणों का डाटा उपलब्ध होना चाहिए | इससे स्वचालित पद्धति से भी विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु शिक्षकों को नामित किया जा सकता है |

6.3 प्रत्येक सत्र में शिक्षकों से विभागीय पोर्टल पर अथवा गूगल फॉर्म के माध्यम से उनके वांछित प्रशिक्षणों एवं उनकी वांछित अवधि/विषयवस्तु की जानकारी प्राप्त करना उचित होगा | इस डाटा की उपलब्धतता से आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस के आधार पर विभिन्न प्रशिक्षणों का निर्धारण किया जा सकता है |

6.4 प्रशिक्षण हेतु मिश्रित (ब्लेंडेड) पद्धतियों यथा औपचारिक कक्षा एवं व्याख्यान आधारित प्रशिक्षण, उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों का भ्रमण, फैकल्टी एक्सचेंज, टीम लर्निंग आदि का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है| प्रशिक्षण पद्धति में विविधता से शिक्षकों में प्रशिक्षण को लेकर उत्साह बना रहेगा |

6.5 शिक्षकों द्वारा प्राप्त किये गए प्रशिक्षणों का रिकॉर्ड उनकी ई-सर्विस बुक तथा ई. आर. शीट में भी रखा जाना आवश्यक है| इससे विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु नामांकन करने हेतु संस्था प्रमुख / उच्च अधिकारियों को सहायता प्राप्त हो सकती है |

6.6 प्रत्येक शिक्षक हेतु प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 2 प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया जा सकता है | ये 2 प्रशिक्षण किसी भी स्तर के हो सकते हैं |

6.7 पदोन्नति हेतु शिक्षक द्वारा प्राप्त किये गए प्रशिक्षणों की किसी नियत संख्या को आधार बनाया जाना उचित होगा | इससे शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित होंगे |

6.8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग एवं उनमें प्रदान की गयी विषयवस्तु अन्य शिक्षकों के लाभार्थ पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाना उचित होगा |

6.9 कौशल उन्नयन एवं विकास हेतु प्रशिक्षण सतत रूप से आयोजित किये जाने उचित होंगे |

6.10 उच्च शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण सतत रूप से चलते रहें इसके लिए एक राज्य स्तरीय उच्च शिक्षा प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को स्थापित किया जाना उचित होगा |